

प्राथमिक पर्चा डिक्री

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :- 242/2023 अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट
प्रदीप पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. करणीसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. किशोरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. चतरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. जसवीरसिंह पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. ताराचन्द पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
6. देवीलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
7. धनपतसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. नारायणसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. प्रवीण पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
10. भंवरसिंह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी सवाई छानी तहसील भादरा (नाम कलमजन)
11. रूघवीरसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
12. राजवीरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. शिशपाल पुत्र आशुराम जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
14. सुभाष पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
15. सरवती पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
16. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पल्लू जिला हनुमानगढ़।
17. गिरदावरी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
18. रचना पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री सन्तलाल बिजारगिया - वकील वादी

श्री श्रवण वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 9, 11 ता 15, 17, 18

निर्णय दिनांक- 18/12/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 6 केकेएम के खाता सं. 58/30 की 10.551 है., चक 7 केकेएम ए के खाता सं. 118/59 की 29.730 है. भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब व हक हिस्सा के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के लिये तहसीलदार राजस्व रावतसर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार उभय पक्षकारान के समक्ष माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नजरी नक्शा के पेश करे। कमीश्नर फीस 1000/- रुपये तय की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

आज यह प्राथमिक पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18/12/2024
.....को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्डाधिकारी

रावतसर

